



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो.राज./परीक्षा-II/EX-54/वेरीफिकेशन/2017/68

दिनांक: 24-3-17

पंजीकृत

## -कार्यालय आदेश-


बोर्ड द्वारा वर्ष 1971 से बोर्ड परीक्षा परिणामों के टेबुलेशन रजिस्टर्स अनुसार कम्प्यूटर से स्कैनिंग कराने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में वर्ष 2001 से 2011 तक के सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी के परीक्षा परिणामों को बोर्ड की वेबसाइट पर सत्यापन हेतु पूर्व में परिपत्र क्रमांक-परीक्षा-II/सत्यापन/2011/3341 दिनांक-28.12.2011 से उपलब्ध करा दिया गया था।

अब वर्ष 2012 से 2015 तक के सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी के परीक्षा परिणामों से संबंधित टेबुलेशन रजिस्टर्स को आम जन की जानकारी हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

इसके लिये बोर्ड की वेबसाइट-[www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in) पर परीक्षा का नाम, परीक्षा का वर्ष तथा विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम का स्टेटमेंट व जन्मतिथि कम्प्यूटर पर उपलब्ध हो जावेगा, जिससे नियुक्तिकर्ता एवं संस्थाओं के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वयं अपने स्तर से ही मूल-दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकेगा।

तदनुसार 01 मार्च 2017 के बाद वर्ष 2001 से 2015 तक के मूल दस्तावेजों का सत्यापन स्वयं नियुक्तिकर्ता अथवा दस्तावेजों का सत्यापन स्वयं नियुक्तिकर्ता अथवा संस्थाओं के सक्षम अधिकारी अपने स्तर से ही सत्यापन कर सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि (01 मार्च 2017) के बाद वर्ष 2001 से 2015 तक की परीक्षाओं के मूल दस्तावेजों का बोर्ड कार्यालय द्वारा सत्यापन (verification) नहीं किया जावेगा।

अतः सभी संबंधित को सूचनार्थ।


  
सचिव

क्रमांक- मा.शि.बो.राज./परीक्षा-II/EX-54/वेरीफिकेशन/2017/68

दिनांक: 24-3-17

प्रतिलिपि-सूचनार्थ निम्नांकित को प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राज. सरकार, जयपुर,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विभाग..... राजस्थान सरकार,.....
3. जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक.....
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, संभाग..... (राज.)
5. उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, संभाग..... (राज.)
6. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय, मा.शि.बोर्ड राज. अजमेर।
7. सक्षम अधिकारी..... कार्यालय.....
8. कमाण्डेन्ट/सैनिक भर्ती/कम्पनी कार्यालय.....
9. विशेषाधिकारी/निदेशक/उपनिदेशक/स.निदेशक/अनुभाग अधिकारी.....
10. ए.सी.पी., आई.टी.एंड सी सैल मय अतिरिक्त प्रति बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
11. गार्ड फत्रावली

  
सचिव